राशिद रज़ा

बनाम

सदफ अख्तर

(सिविल अपील क्रमांक 7005 ऑफ़ 2019) सितम्बर 04, 2019

[माननीय न्यायमूर्तिगण आर.एफ. नरीमन, आर.सुभाष रेड्डी और सूर्यकांत]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 11 - मध्यस्थ की नियुक्ति - पार्टियों के बीच साझेदारी विलेख - साझेदारी विवाद - धन की हेराफेरी और विभिन्न व्यावसायिक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भागीदारों में से एक द्वारा एफआईआर - मध्यस्थता खंड के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा-11 के तहत आवेदन - आवेदन को खारिज करना - अपील पर, आयोजित किया गया: "साधारण आरोपों" के विपरीत धोखाधड़ी की दलील के समर्थन में जालसाजी / जालसाजी के गंभीर आरोपों के बीच अंतर है - दो कामकाजी परीक्षण यह हैं कि क्या याचिका पूरे अनुबंध और सबसे ऊपर, मध्यस्थता के समझौते में व्याप्त है, इसे निरर्थक बनाना, या क्या धोखाधड़ी के आरोप पार्टियों के आंतरिक मामलों को छूते हैं , जिनका सार्वजनिक डोमेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है - इसे ध्यान में रखते हुए, तत्काल मामले में साधारण आरोप हैं क्योंकि धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं है जो खराब होगा समग्र रूप से साझेदारी विलेख या, विशेष रूप से, उक्त विलेख में संबंधित मध्यस्थता खंड - सभी आरोप साझेदारी के मामलों और उसमें से धन की हेराफेरी से संबंधित हैं और सार्वजनिक डोमेन में किसी भी मामले से संबंधित नहीं हैं - इस प्रकार, विवाद उठाए गए पार्टियों के बीच मध्यस्थता योग्य है और इसलिए, एस-11 आवेदन बनाए रखने योग्य है।

ए. अय्यासामी बनाम ए. परमसिवम और अन्य (2016) 10 एससीसी 386: [2016] 11 एससीआर 521 - पर भरोसा किया गया।

केस लॉ रेफरेंस [2016] 11 एससीआर 521 पैरा 5, 6 पर निर्भर है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 7005।

2018 के मध्यस्थता आवेदन संख्या 1 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय और आदेश दिनांक 06.12.2018 से।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता:- शिवम सिंह, अनिमेष कुमार, नीरज शेखर, शादाब इकबाल, सुमित कुमार, सुश्री एकता भारती, मुरारी कुमार।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रतिवादी के अधिवक्ता:- श्री प्रकाश सिन्हा, ऋषि पल्लव, राकेश मिश्रा, सुश्री मरीना व्हीलर, सुश्री मोहुआ सिन्हा, शेखर कुमार।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन द्वारा सुनाया गया ।

1- वर्तमान मामला एक साझेदारी विवाद से उत्पन्न हुआ है जिसमें एक साझेदार द्वारा दिनांक 17.11.2017 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें धन की हेराफेरी और विभिन्न अन्य व्यावसायिक अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। फिलहाल एफआईआर की जांच चल रही है।

2- अपीलकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 की धारा 11 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.01.2018 को एक मध्यस्थता याचिका दायर की गई थी , जिसमें मध्यस्थता खंड के तहत एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई थी , जो दिनांकित 30.01.2015 पार्टियों के बीच साझेदारी विलेख में पाया जाना है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.12.2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा, 'ए अय्यासामी बनाम ए. परमसिवम और अन्य' [(2016) 10 एससीसी 386] में हमारे फैसले का हवाला दिया है और उक्त फैसले से पैराग्राफ 26 निकालने के बाद कहा है:

"\.....अपीलकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप यह था कि उसने 17 जून, 2010 को अपने बेटे के पक्ष में अन्य साझेदारों अर्थात उत्तरदाताओं की ज्ञान और सहमति के बिना होटल अरुणगिरी के 10,00,050 रुपये के चेक पर हस्ताक्षर किए और जारी किया था। यह केवल हिसाब-किताब का मामला था जिस पर मध्यस्थ द्वारा भी गौर किया जा सकता था और इसका पता लगाया जा सकता था। हालाँकि, मौजूदा मामले के तथ्य बहुत अधिक जटिल हैं, जैसा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से पता चलता है। हालाँकि, यह न्यायालय आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करने का इरादा नहीं रखता है , अन्यथा यह सक्षम न्यायालय के समक्ष उचित कार्यवाही में पक्षों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हालाँकि , समग्रता में विचार करने पर इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि जटिल प्रकृति के धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों से जुड़े विवाद की प्रकृति मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। विवाद को किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों की ओर से बड़े पैमाने पर सबूत की आवश्यकता हो सकती है, जिसे केवल सक्षम क्षेत्राधिकार वाली सिविल अदालत द्वारा ही उचित तरीके से निपटाया जा सकता है।''

3- नतीजतन, कथित तौर पर इस फैसले का पालन करते हुए, धारा 11 आवेदन खारिज कर दिया गया था।

4- दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद , यह स्पष्ट है कि ए. अय्यासामी के मामले में निर्धारित कानून पैराग्राफ 25 में है, पैराग्राफ 26 में नहीं। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 25 में इस प्रकार कहा गया है:

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

25. हमारी उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर , हमारी राय है कि केवल धोखाधड़ी करने वाले का आरोप पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौते के प्रभाव को खत्म करने का आधार नहीं हो सकता है। यह केवल उन मामलों में है जहां न्यायालय , अधिनियम की धारा 8 से निपटते समय पाता है कि धोखाधड़ी के बहुत गंभीर आरोप हैं जो आपराधिक अपराध का एक आभासी मामला बनाते हैं या जहां धोखाधड़ी के आरोप इतने जटिल हैं कि यह बिल्कुल आवश्यक हो जाता है ऐसे जटिल मुद्दों का फैसला केवल सिविल कोर्ट द्वारा ही पेश किए जाने वाले भारी भरकम सबूतों की सराहना के आधार पर किया जा सकता है , कोर्ट धारा 8 के तहत आवेदन को खारिज करके समझौते को रद्द कर सकता है और योग्यता के आधार पर मुकदमे के साथ आगे बढ़ सकता है। ऐसा उन मामलों में भी किया जा सकता है जहां धोखाधड़ी की दलील के समर्थन में दस्तावेजों की जालसाजी/फर्जीवाड़ा के गंभीर आरोप हैं या जहां मध्यस्थता प्रावधान के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है या ऐसी प्रकृति का है जो पूरे अनुबंध में व्याप्त है, जिसमें शामिल हैं मध्यस्थता करने का समझौता, जिसका अर्थ उन मामलों में होता है जहां धोखाधड़ी पूरे अनुबंध के अनुबंध की वैधता तक जाती है जिसमें मध्यस्थता खंड या मध्यस्थता खंड की वैधता शामिल होती है। इसकी विपरीत स्थिति यह होगी कि जहां पार्टी के आंतरिक मामलों को लेकर धोखाधड़ी के साधारण आरोप हैं और इसका सार्वजनिक डोमेन में कोई निहितार्थ नहीं है, तो मध्यस्थता खंड से बचने की आवश्यकता नहीं है और पार्टियों को मध्यस्थता में स्थानांतरित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन में इस तरह के मुद्दे से निपटने के दौरान, न्यायालय का ध्यान इस सवाल पर होना चाहिए कि क्या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया गया है, बजाय इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के कि क्या न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है। या नहीं। यह ध्यान में रखना होगा कि जहां तक अधिनियम की वैधानिक योजना का सवाल है , यह विशेष रूप से किसी भी श्रेणी के मामलों को गैर-मध्यस्थता योग्य के रूप में बाहर नहीं करता है। गैर-मध्यस्थता योग्य विषयों की ऐसी श्रेणियां सामान्य कानून के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों द्वारा तैयार की जाती हैं कि कुछ विवाद जो सार्वजनिक प्रकृति के हैं, आदि मध्यस्थता द्वारा न्यायनिर्णयन और निपटान में सक्षम नहीं हैं और ऐसे विवादों के समाधान के लिए , न्यायालय यानी सार्वजनिक मंच, मध्यस्थता के निजी मंच की तुलना में बेहतर उपयुक्त हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय की जांच उपरोक्त पहलू पर होनी चाहिए, अर्थात। क्या विवाद की प्रकृति ऐसी है कि इसे मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है, भले ही पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता हो। जब धोखाधड़ी का मामला किसी एक पक्ष द्वारा स्थापित किया जाता है और उस आधार पर वह पक्ष उस मध्यस्थता समझौते से बाहर निकलना चाहता है , तो धोखाधड़ी के आरोपों की सख्त और सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है और केवल तभी जब न्यायालय संतुष्ट हो कि आरोप गंभीर और जटिल प्रकृति के हैं, इसलिए अदालत के लिए पक्षों को मध्यस्थता के लिए सौंपने के बजाय विषय

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

वस्तु से निपटना अधिक उपयुक्त होगा , तभी धारा 8 के तहत ऐसे आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

5- इस अपील में निर्धारित कानून के सिद्धांत "साधारण आरोपों" के विपरीत धोखाधड़ी की दलील के समर्थन में जालसाजी/जालसाजी के गंभीर आरोपों के बीच अंतर करते हैं। अनुच्छेद 25 में निर्धारित दो कार्य परीक्षण हैं: **(1)** क्या यह दलील पूरे अनुबंध और सबसे बढ़कर, मध्यस्थता के समझौते को अमान्य कर देती है , या (2) क्या धोखाधड़ी के आरोप पार्टियों के आंतरिक मामलों से जुड़े हैं, जिनका सार्वजनिक डोमेन पर कोई प्रभाव नहीं है।

6- इन दो परीक्षणों से निर्णय लेने पर , यह स्पष्ट है कि यह एक ऐसा मामला है जो "सरल आरोपों" के पक्ष में आता है क्योंकि इसमें धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं है जो पूरी तरह से साझेदारी विलेख या विशेष रूप से संबंधित मध्यस्थता खंड को खराब कर देगा। दूसरे , लगाए गए सभी आरोप, जिन पर प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने भरोसा किया है , साझेदारी के मामलों और उसमें से धन की हेराफेरी से संबंधित हैं , न कि सार्वजनिक डोमेन के किसी मामले से।

7- ऐसा होने पर, हमारा विचार है कि पक्षों के बीच उठाए गए विवाद मध्यस्थता योग्य हैं और इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम के तहत धारा 11 का आवेदन कायम रखने योग्य होगा।

8- अपील के तहत निर्णय को रद्द कर दिया गया है। पार्टियों की सहमति से , हम पार्टियों के बीच सभी विवादों को सुलझाने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जुगड़े , न्यायमूर्ति अमरेश्वर सहाय को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करते हैं। [2019] 12 एस.सी.आर. जांच के बाद अपील का निपटारा हो गया।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"